

## प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

|    |                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ) | 18 | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर होशंगाबाद जिले के अन्तर्गत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के कोर क्षेत्र में विद्यमान वनग्राम खामदा एवं मालनी भाग-5 को विस्थापित/पुर्नवास किए जाने हेतु 100.00 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है। |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

दिनांक: 10.2019

स्थान: भोपाल

  
(एच.एस. मोहन्ता)  
सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)

(एच.एस. मोहन्ता)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग